Sixteenth Loksabha

>

Title: Regarding lack of basic amenities in unauthorized colonies of Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दिल्ली की समस्यों को उजागर करने के लिए परमिट करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, यह बहुत सेन्सिटिव मामला है। दिल्ली में लगभग 2100 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं और अभी तक दिल्ली की सरकार ने उन्हें पास नहीं किया है। उनके साथ बार-बार धोखा किया जाता रहा है। ये कांग्रेस के लोग, सोनिया जी ने एक बार चुनाव में वोट लेने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे । वर्ष 2008 से लेकर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उसके बाद उन कॉलोनियों के बारे में वर्ष 2008 में ऑर्डर किया था कि सरकार इन कॉलोनियों में बेसिक एमेनिटीज डेवलप करेगी। हमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। वर्ष 2008-2009 में सड़कें बननी शुरू हो गई थीं, लेकिन चार वर्षों से जो सरकार बैठी हुई है, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में एमसीडी काम नहीं कर सकती है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया । केवल डीएसआईडीसी और फ्लड डिपार्टमेंट काम करते हैं। वे विधायक उनसे पैसा मांगते हैं, लेकिन काम नहीं होता है।

सर, लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के काम, हमने चीफ सेक्रेट्री के साथ 04.09.2013 में काम किया था, फिर 09.09.2014 को मीटिंग किया, वहां पर सीवर लाइन डाले जाएं, डेवलपमेंट के काम हो जाएं। वहां पर जितनी कॉलोनियां हैं, विजयनगर, महावीर एनक्लेव, रंगपुरी, संगम विहार, देवली, बदरपुर, तुगलकाबाद, प्रह्लादपुर, लालकुआं या छत्तरपुर हो, इन कॉलोनियों में सीवर लाइन का काम होना है।

उपाध्यक्ष महोदय, ... * दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत वहां कालेज खोलना चाहते हैं। वहां ग्राम सभा की बहुत जमीन है। वहां एमसीडी लोगों के लिए डिस्पेंसरी भी बनाना चाहती है लेकिन ... * ग्राम सभा की जमीन अलॉट नहीं करते हैं।

मेरा आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री और सरकार से निवेदन है कि वहां ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे डिस्पेंसरी बन सके। दिल्ली देश की राजधानी है और यह मामला तीस लाख लोगों से जुड़ा मामला है कि वहां कालेज खुल सके, डिस्पेंसरी बन सके। दिल्ली सरकार को बने चार वर्ष का समय हो गया है, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The name will not go on record.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Meenakshi Lekhi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Ramesh Bidhuri.